PODDAR
PIGMENTS

Ref: PPL/JPR/SECT/2020-21 Date: 18.02.2021

BSE Ltd.,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
25th Floor, Dalal Street,Fort,
MUMBAI - 400 001

National Stock Exchange of India Ltd.,
Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block,
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E),
MUMBAI - 400 051

Company Code: 524570

Company Symbol: PODDARMENT

Dear Sir/ Madam,

Sub: Newspaper Advertisement for transfer of shares as per clause 2(c) of SEBI circular dated 6th November 2018.

Pursuant to Regulation 30 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copy of Newspaper Advertisement published in "Business Standard " and "Nafa Nuksan" on February 18, 2021, relating to transfer of shares as per clause 2(c) of SEBI circular dated 6th November 2018.

Kindly take the same in your records.

Thanking you,

Yours faithfully,
for **PODDAR PIGMENTS LIMITED**

(NAVIN JAIN)
AVP (LEGAL) & COMPANY SECRETARY

Encl: a/a

Poddar Pigments Limited
Regd. Office & Works :
E-10-11 & F-14 to 16
RIICO Industrial Area, Sitapura
Jaipur - 302 022 Rajasthan, India.
Tel.: +91-141-2770202/03/287/291
Fax: +91-141-2771922
Email: jaipur@poddarpigmentsltd.com
CIN: L24117RJ1991PLC006307
GSTIN: 08AAACP1125E1ZZ

Business Standard
DELHI EDITION

Printed and Published by Nandan Singh Rawat on behalf of Business Standard Private Limited and printed at The Indian Express (P) Ltd. A-8, Sector-7, Noida, Gautam Budh Nagar-201301 and published at Nehru House, 4 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi 110002

Editor : Shyamal Majumdar

RNI NO. 57376/1994

Readers should write their feedback at
feedback@bsmail.in
Ph. 011-23720202, Fax :+91-11-23720201

For Subscription and Circulation enquiries please contact:
Ms. Mansi Singh
Head-Customer Relations
Business Standard Private Limited.
H/4 & I/3, Building H,Paragon Centre, Opp. Birla Centurion, P.B.Marg, Worli, Mumbai - 400013
E-mail: subs_bs@bsmail.in
"or sms, SUB BS to 57007"

उदयपुर चैंबर ने उठाई माइनिंग इंडस्ट्री की समस्याएं

उदयपुर/निजी संवाददाता

उदयपुर चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री द्वारा यूसीसीआई भवन में माईनिंग सम्बन्धी मुद्दों पर परिचर्चात्मक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में यूसीसीआई के संरक्षक अरविन्द सिंघल, यूसीसीआई की माईनिंग सब कमेटी के चेयरमैन पूर्वाध्यक्ष एम.एल. लूणावत, यूसीसीआई के उपाध्यक्ष विजय गोधा एवं मिनरल प्रोसेसिंग व्यवसाय से जुडे अरविन्द अग्रवाल, प्रकाशचन्द्र जैन आदि उद्यमियों ने भाग लिया। जिसमें माइनिंग इंडस्ट्री से जुड़े मामले में निदेशक खान एवं भू विज्ञान विभाग को प्रेषित प्रतिवेदन को अंतिम रूप दिया गया। चैंबर के अध्यक्ष कोमल कोठारी के अनुसार अग्र लिखित सुझाव दिये गये हैं :

वेस्ट मार्बल पाउडर से सम्बन्धित समस्याएं : वेस्ट मार्बल क्रेजी पाउडर का परिवहन करने के लिए माईनिंग विभा के ऑनलाईन सिस्टम में तकनिकी कारण से ट्रांजिट पास (टी.पी.) जारी किए जाने की व्यवस्था नहीं है। इस तथ्य से भली-भांति अवगत होने के बावजूद डूंगरपुर एम.ई. द्वारा केवल उदयपुर से परिवहन किए जाने वाले वेस्ट मार्बल क्रेजी पाउडर पर अवैध चालान बनाया जा रहा है। जबकि वेस्ट मार्बल क्रेजी पाउडर एक रॉयल्टी पेड मेटीरियल का अपषिश्ट है। यह मार्बल गैंग-सॉ फैक्ट्री से अपषिश्ट के तौर पर निकलने वाला वेस्ट है जिसे फेंक दिया जाता है। यह वेस्ट पाउडर ट्रांसपोर्टर द्वारा मिनरल फैक्ट्री तक परिवहन कर लाया जाता है तथा ट्रांसपोर्ट बिल के साथ दिया जाता है जिसका फैक्ट्री मालिक द्वारा आरसीएम के तहत जीएसटी अदा किया जाता है। इस वेस्ट को प्रोसेस करके पाउडर बनाया जाता है जिसका जीएसटी बिल और ई-वे बिल के द्वारा विक्रय किया जाता है। इसका इनपुट ट्रांजिट पास (टी.पी.) नहीं जारी कर सकने की वजह से आउटपुट टी.पी. भी नहीं जारी की जा सकती है।

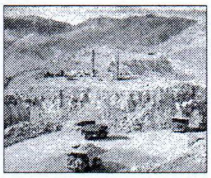

यह भी ज्ञात है कि मार्बल वेस्ट के मूल खनिज अर्थात मार्बल स्लैब एवं टाईल्स पर भी टी.पी. की व्यवस्था लागू नहीं है। इसके अलावा हमारे सदस्यों ने बताया कि मार्बल वेस्ट पाउडर और मार्बल पाउडर को अलग-अलग परिभाशित नहीं किया है और इसका फायदा उठाते हुए माईनिंग विभाग के डूंगरपुर एम.ई. द्वारा अवैध परिवहन के चालान की आड में अवैध वसूली का अवसर लेकर गैर कानूनी गतिविधियां हो रही हैं। माईन्स से उत्खनन द्वारा निकलने वाले मार्बल ब्लॉक्स, सोपस्टोन, लफर, खण्डे आदि सभी खनिजों पर माईनिंग विभाग द्वारा रॉयल्टी वसूल की जाती है। इन खनिजों के परिवहन के दौरान माईनिंग विभाग का रॉयल्टी का रवन्ना साथ में होना आवष्यक है। खनिज के परिवहन के दौरान रॉयल्टी का रवन्ना साथ नहीं होने पर माईनिंग विभाग द्वारा इसे अवैध खनन व रॉयल्टी की चोरी का मामला मानते हुए पेनल्टी लगाई जाती है। अवैध माईनिंग गतिविधियों पर पूर्णतया रोक लगाने के लिए यूसीसीआई का यह सुझाव है कि माईनिंग विभाग द्वारा रॉयल्टी की वसूली करने वाले ठेकेदार को पाबन्द किया जाए। यूसीसीआई का यह भी सुझाव है कि माईनिंग विभाग द्वारा मार्बल वेस्ट पाउडर के जो अवैध परिवहन के चालान बनाए गए हैं, जिसके साथ पक्का जीएसटी बिल तथा ई-वे बिल भी था, उन पीडित व्यापारियों को पुनः भुगतान किया जाए।

सोपस्टोन, डोलोमाईट एवं अन्य मिनरल्स से सम्बन्धित समस्याएं : (1) ट्रांजिट पास (टी.पी.) कनफर्म कराने की अनिवार्यता

यूसीसीआई का यह सुझाव है कि ट्रांजिट पास (टी.पी.) कनफर्म कराने हेतु ट्रक को धर्म कांटें पर ले जाकर वजन कन्फर्म कराने की अनिवार्यता समाप्त की जाए तथा जिस प्रकार जीएसटी एक्ट में ई-वे बिल जनरेट होता है तथा वह मान्य है उसी प्रकार से टीपी भी सीधे कन्फर्म मानी जावें ताकि समय व श्रम की बर्बादी ना हो।

(2)टीपी में किसी प्रकार की त्रुटि सुधार की व्यवस्था नहीं होना

यूसीसीआई का यह सुझाव है कि टीपी में भूल सुधार करने की सुविधा प्रदान की जावे।

(3)गोपनीय व्यावसायिक जानकारी का सार्वजनिक किया जाना

यूसीसीआई का यह सुझाव है कि टीपी पर खरीददार पार्टी का नाम और पता दर्षाया जाता है उसे पूर्व की भांति सार्वजनिक नहीं किया जाए।

(4)एक से अधिक व्यापारियों को एक ही ट्रक में पार्ट लोड में माल भेजने पर अलग-अलग टी.पी. का नहीं निकलना

यूसीसीआई का यह सुझाव हैं कि माईनिंग विभाग द्वारा वेस्ट मार्बल क्रेजी एवं वेस्ट मार्बल पाउडर को टीपी सिस्टम में इनपुट लेने की व्यवस्था प्रदान की जावे। जब तक यह व्यवस्था सभी लोगों के लिए लागू नहीं हो जाती है तब तक टीपी व्यवस्था को मिनरल पाउडर से स्थगित (ढ्ढ्डह्म्ह्यह्लह्म्) किया जावे।

एंप्लायर्स एसोसियेशन ने दिये राज्य बजट के लिए सुझाव

जयपुर/का.सं.। राजस्थान एंप्लायर्स एसोसियेशन की ओर से राज्य के बजट के लिए कुछ सुझाव दिये गये हैं। एसोसियेशन के अध्यक्ष एन के जैन के अनुसार कहा गया है कि

■ वेट टेक्स के समय की डिमांड, मिसमैच, पेंडिंग सी फार्म व टेक्स रेट से संबंधित काफी केस विवादित हैं, उन सभी के लिए एक ऐसी एमनेस्टी स्कीम लाई जाए जिसमे पेनल्टी व ब्याज की पूर्ण माफी एवं मूलकर में 25 प्रतिशत की छूट दी जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा ऐसेसी इसका लाभ लेने को आगे आयें इससे करीब 5 से 6 हजार करोड़ का रेवेन्यू राजस्थान सरकार को प्राप्त होने की संभावना है।

■ 10 हजार मीटर से अधिक आकार वाले औद्योगिक भूखंडों पर 2रूपये प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष भूमिकर लगाया गया है चूंकि इसके तुरंत बाद कोरोना का लॉकडाउन चालू हो गया और उद्योग इसे समय (30/06/2020 तक) पर जमा नहीं करा पाए और अब इस पर ब्याज और पेनल्टी की डिमांड की जा रही है जिसे कठिन वित्तीय परिस्थितियों की वजह से उद्योग देने में सक्षम नहीं है अतः इसे भी एमनेस्टी योजना में शामिल किया जाना चाहिए।

■ सुक्ष्म व लघु उद्योगों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर एमएसएमई क्रेडिट कार्ड शुरू किया जावे ताकि छोटे-छोटे उद्योग को अपनी आकस्मिक वित्तीय जरूरतों के लिए बैंकों के चक्कर न काटने पड़ें और उन्हें कम ब्याज पर पैसे कार्ड से तुरंत मिल जावे जिससे वे अपने कच्चे माल का भुगतान कर सकें और उत्पादन की निरंतरता बनी रहे व जब उन्हें अपना पेमेंट मिले तब वे उसका भुगतान कर सकें।

■ ई-वे बिल की सीमा 50 हजार से बढ़ा कर एक लाख कर दी जावे।

■ राजस्थान में बिजली की दरें हमेशा से उद्योगों की मुख्य समस्या रही है एवं ओपन एक्सेस में एक मेगावाट के रेस्ट्रीक्षन की वजह से अधिकतर उद्योग इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, लेटेस्ट डाटा के अनुसार पहले की तुलना में मात्र 20 प्रतिशत उद्योग ही आगे आए हैं इस योजना की लिमिट यदि 200 किलोवाट कर दी जाए तो प्रदेश के उद्यमी ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ लेने आगे आएंगे।

■ केप्टीव पावर जेनरेशन पर लगाए जाने वाले व्हीलिंग चार्ज व इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को जीरो किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें बिजली विभाग का कोई रोल नहीं है।

■ 10 किलोवाट से ज्यादा वाले रूफ्टॉप सोलर पावर प्लांट की नेट मीटरिंग बंद कर ग्रोस मीटरिंग शुरू करने के केंद्र के नोटिफिक्शन का पूरे राजस्थान के औद्योगिक संगठनों ने विरोध किया है ये हमारे एमएसएमई के लिए घातक है अतः सेक्शन 108 सबसेक्शन 65 के अंतर्गत राज्य सरकार को इसे लागू करने से मना करना चाहिए या डेफर करना चाहिए ये प्रदेश व उद्योगों के हित में होगा।

■ होटल व टूरिज्म को उद्योगों का दर्जा तो मिला हुआ है परंतु उनके पानी के, बिजली के बिल व अन्य मद में लिए जाने वाले विभिन्न कर कॉमर्शियल दरों से आते हैं अतः इस अधिनियम में सुधार कर उन्हें उद्योग मानते हुए सभी बिलों को जारी किया जावे, वैसे भी कोविड महामारी का प्रभाव सबसे ज्यादा इसी सेक्टर में हुआ है अतः बजट में इस सेक्टर के लिए विशेष प्रावधान करके इन्हें बढ़ावा देना उचित रहेगा।

■ महिला सशक्तिकरण हेतु व ज्यादा से ज्यादा महिला उद्यमियों को आगे लाने हेतु एक 50 करोड़ का फंड निर्धारित किया जाए जिसमें महिला उद्यमियों को आसानी से कम ब्याज पर ऋण मिल सके, राजस्थान फाइनेंशियल कार्पोरेशन को इसके लिए नोडल एजेंसी बनाया जाए।

■ सेवा क्षेत्र को उद्योग श्रेणी में शामिल करते हुये सरकारी खरीद/कंसलटेन्सी में प्राथमिकता प्रदान करनी चाहिए।

नेशनल/इंटरनेशनल

सड़क परिवहन मंत्रालय वैकल्पिक ईंधन के क्षेत्र में कर रहा काम

चेन्नई/पीटीआई

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यहां कहा कि ईंधन के बढ़ते दाम को देखते हुए सड़क परिवहन मंत्रालय ने लिथियम ऑयन और हाइड्रोजन सेल जैसे वैकल्पिक ईंधन के क्षेत्र में संभावना टटोलने के लिये कदम उठाया है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान में चमड़ा संकुल का उद्घाटन करते हुए, उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि एल्युमीनियम ऑयन और स्टील ऑयन बैटरी पर भी चर्चा की जा रही है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम) मंत्री गडकरी ने कहा, ''मेरा सुझाव यह है कि देश में वैकल्पिक ईंधन अपनाने का समय है। मैं भारत में अतिरिक्त बिजली की उपलब्धता के साथ ईंधन के रूप में इसके उपयोग पर जोर देता रहा हूं और अब 81 प्रतिशत लिथियम ऑयन बैटरी भारत में बन रहे हैं।'' उन्होंने कहा कि मंत्रालय हाइड्रोजन ईंधन सेल विकसित करने के कार्य में भी लगा है। गडकरी ने कहा, ''हम जीवाश्म ईंधन के विकल्प पर काम कर रहे हैं। क्योंकि यह देश के लिये काफी महत्वपूर्ण है।'' फिलहाल देश 8 लाख करोड़ रुपये का जीवाश्म ईंधन का आयात करता है। उन्होंने कहा कि समस्या यह है कि वैश्विक बाजार में जीवाश्म ईंधन के दाम बढ़ रहे हैं और भारत में 70 प्रतिशत जीवाश्म ईंधन का आयात होता है। गडकरी ने कहा कि उन्होंने हाल ही में जैव-सीएनजी संचालित ट्रैक्टर को पेश किया। इसमें ईंधन के रूप में पराली, गन्ने की खोई, कपास फसल के अवशेष का उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने कहा, ''हमें वैकल्पिक ईंधन उद्योग को तेजी से आगे बढ़ाने की जरूरत है और तमिलनाडु कृषि के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण राज्य है।''

साड़ी...

दिल्ली पुलिस में फ्रंट डेस्क पर काम करने वाली महिलाएं अब खादी सिल्क साड़ियों में नजर आएंगी। फोटो : IANS

दूरसंचार क्षेत्र के लिये 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी

नयी दिल्ली/पीटीआई

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार उपकरण निर्माण के लिये 12,195 करोड़ रुपये की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। मंत्रिमंडल की एक बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार विनिर्माण के लिये भारत को एक वैश्विक पावरहाउस के रूप में आगे बढ़ा रही है। व्यापार करने में आसानी के लिये सरकार ने अनुकूल वातावरण बनाया है। मंत्रिमंडल ने 12,195 करोड़ रुपये के दूरसंचार उपकरण निर्माण के लिये उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी दी है। सरकार को उम्मीद है कि इस योजना से अगले पांच वर्षों में देश में 2,44,200 करोड़ रुपये के दूरसंचार उपकरणों का उत्पादन होगा। मंत्री ने कहा कि जल्द ही सरकार लैपटॉप और टैबलेट पीसी के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिये पीएलआई योजना लायेगी।

वित्त मंत्रालय ने मंत्रालयों से बची हुई रकम 20 मार्च तक लौटाने को कहा

नयी दिल्ली/पीटीआई। वित्त मंत्रालय ने विभागों और मंत्रालयों से चालू वित्त वर्ष में विभिन्न मदों में अगर कोई बचत राशि है, तो उसे 20 मार्च तक हस्तांतरित करने को कहा है। वित्त मंत्रालय के बजट प्रभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन के जरिये सभी विभागों और मंत्रालयों से कहा गया है कि 2020-21 के लिये मिले अनुदान से जो भी राशि बचने का अनुमान है, उसे वापस करने के लिये 20 मार्च, 2021 की समयसीमा तय की गयी है।'' इसमें कहा गया है, ''इसलिए, अनुरोध है कि प्रत्येक इकाई के तहत खर्च के लिये आवंटित राशि में अगर कुछ बचत है, तो उसे इस मंत्रालय को भेजा जा सकता है। यह राशि 20 मार्च तक भेजी जा सकती है।'' अगर कोष का उपयोग 31 मार्च तक नहीं होता है, उसके खर्च की मियाद खत्म समझी जाती है क्योंकि वित्त कानून के जरिये नया बजट एक अप्रैल से शुरू वित्त वर्ष से लागू हो जाएगा।

उत्कृष्ट संस्थान तैयार करने पर ध्यान दे आईटी उद्योग

मुंबई/पीटीआई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि भारतीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र ने दुनिया में अपनी छाप छोड़ी है और इस क्षेत्र में अगुवा बनने के लिये नवप्रवर्तन पर जोर, प्रतिस्पर्धी के साथ उत्कृष्ट संस्थान निर्माण पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने आईटी उद्योग से कृषि, स्वास्थ्य और देश के लोगों की अन्य जरूरतों को ध्यान में रखकर समाधान बनाने जाने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने 'नासकॉम टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम' को संबोधित करते हुए कहा, ''भारतीय आईटी उद्योग की विश्व में छाप है, लेकिन हमें इस क्षेत्र में अगुवा बनना है, तो हमें नवप्रवर्तन, प्रतिस्पर्धी क्षमता और उत्कृष्टता के साथ संस्थान निर्माण पर ध्यान देना होगा।''

उन्होंने कहा, ''विश्व में भारतीय प्रौद्योगिकी की जो पहचान है, उससे देश को काफी उम्मीदें हैं। आपके समाधान पर मेक फॉर इंडिया की छाप होनी चाहिए।'' उन्होंने आईटी उद्योग से कहा कि वे कृषि, स्वास्थ्य और देश तथा लोगों अन्य जरूरतों को ध्यान में रखकर समाधान बनाये। प्रधानमंत्री ने कहा, ''हम आजादी के 75वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। यह समय नये लक्ष्य बनाने का है। जब भारत 25-26 साल बाद आजादी के 100 साल मनाएगा, हम कितने वैश्विक उत्पाद बनायें, कितने वैश्विक लीडर बनाये, यह सोचकर काम करने की जरूरत है। इस लक्ष्य को हासिल करने में देश आपके साथ है।'' स्टार्टअप का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा, ''स्टार्टअप संस्थापकों को इस बारे में सोचना चाहिए कि कैसे वे संस्थानें सृजित कर सकते हैं, केवल मूल्यांकन पर जोर नहीं होना चाहिए।'' उन्होंने कहा, ''हमारी सरकार मानती है कि बंधनों में भविष्य का नेतृत्व विकसित नहीं हो सकता, इसीलिए प्रौद्योगिकी उद्योग को अनावश्यक नियमन से बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है।'' प्रधानमंत्री ने कहा, ''हाल में हमने भू-स्थानिक क्षेत्र को खोला है, इससे प्रौद्योगिकी क्षेत्र के स्टार्टअप को मदद मिलेगी और आत्मनिर्भर भारत अभियान सशक्त होगा। डिजिटल प्रौद्योगिकी के लाभ का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकी के सुधार से काले धन की समस्या में कमी आयी है, लोग सशक्त हुए हैं।

For Your Information...

World's Most Powerful Militaries, 2021

1. USA
2. Russia
3. China
4. India
5. Japan
6. South Korea
7. France
8. UK
9. Brazil
10. Pakistan

Source: Global Firepower

Compiled by Nafanuksan Research

विचार सागर

''संतुष्टि, खुशी से बड़ी है क्योंकि खुशी थोड़े समय के लिए ही संतुष्टि देती है जबकि संतुष्टि हमेशा खुशी देती है।''

''अगर आप सोचते हैं कि आपका पहिला अधिक सुखी है तो इसका अर्थ यह नहीं है आप उससे कम सुखी हैं।''

Thoughts of the time

Man only plays when in the full meaning of the word he is a man and he is only completely a man when he plays.

- Johann Friedrich Von Schiller

राजस्थानी कहावत

खाण रै जैड़ा नीपजै

खान हो जैसा खनिज

■ जैसे मां बाप वैसी संतान
■ बुरों के बुरे ही पैदा होते हैं
■ कोख का असर तो सभी पर आता है

बाजार

बीएसई सेंसेक्स, एनएसई निफ्टी, इंडिया विक्स, एसजीएक्स कॉस्पेक्स, एमसीडीईएक्स, डॉलर, यूरो, कच्चा तेल, लंदन ब्रेंट क्रूड, एल्युमिनियम, तांबा, निकल, टिन, जिंक, सोना, चांदी [values illegible]

यह भाव शाम 6.00 बजे तक के हैं।

गुरुवार के चौघड़िए

प्रातः 7.05 से 8.29	शुभ
8.29 से 9.53	रोग
9.53 से 11.17	उद्वेग
11.17 से 12.41	चर
12.41 से 2.05	लाभ
2.05 से 3.29	अमृत
3.29 से 4.53	काल
4.53 से सूर्यास्त 6.17	शुभ
रात्रि 6.17 से 7.52	अमृत
7.52 से 9.28	चर
9.28 से 11.05	रोग

Ref : PPL/JPR/SECT/2020-21 Date : 18.02.2021

BSE Ltd.,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
25th Floor, Dalal Street,Fort,
MUMBAI - 400 001

National Stock Exchange of India Ltd.,
Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block,
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E),
MUMBAI - 400 051

Company Code : 524570

Company Symbol : PODDARMENT

Dear Sir/ Madam,

Sub: Newspaper Advertisement for transfer of shares as per clause 2(c) of SEBI circular dated 6th November 2018.

Pursuant to Regulation 30 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copy of Newspaper Advertisement published in "Business Standard " and "Nafa Nuksan" on February 18, 2021, relating to transfer of shares as per clause 2(c) of SEBI circular dated 6th November 2018.

Kindly take the same in your records.

Thanking you,

Yours faithfully,
for **PODDAR PIGMENTS LIMITED**

(NAVIN JAIN)
AVP (LEGAL) & COMPANY SECRETARY

Encl : a/a